दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

१विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 1997/म्रावण 8,1919१्राक्१

संख्या : 337

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, दिक्षण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली का दिनांक 28.07.97 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

> 'श्री विनोद शर्मा, सदस्य विधान सभा नतीरपुर विधान सभा क्षेत्र को दिनांक 28-7-97 को अपराह्न 11-30 बजे, भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/341/323 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दायर केस एफ आई-आर नंबर 475/97 दिनांक 21-7-97 के मामले में पुलिस स्टेशन डाबरी दारा गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के तुरन्त बाद ही उनको रू 5000/= के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

> > पी एन गुप्ता सचिव

DEIHI LEGISIATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT *** BUILETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, July 30, 1997/ Shrayana 08, 1919 (Saka)

No.337

ARREST OF A MEMBER

The following message dated 28.7.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, South-West District, New Delhi:

"Shri Vinod Sharma, MLA from Nasirpur Constituency was arrested at 1130 hrs. on 28.7.97 in case FIR No. 475/97 dated 27.7.97 u/s 147/149/341/323 IPC PS Dabri. Immediately upon his arrest he was released on bail for the sum of %.5000/-."